

राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग


क्रमांक:एफ.3(13)मत्स्य/विकास/2017-18/

जयपुर, दिनांक:

परिपत्र


राजस्थान मत्स्य क्षेत्र नियम 1958 के नियम 4 (2) के अंतर्गत स्पोर्ट फिशरीज हेतु शोकिया मछली पकड़ने वाले व्यक्तियों को ऐंग्लिंग (Angling) लाईसेंस दिये जाने का प्रावधान है। स्पोर्ट फिशरीज के अंतर्गत ऐंग्लिंग में पकड़ी गई मछली को वापस जीवित अवस्था में जलाशय में छोड़ना चाहिये परन्तु यह ध्यान में आया है कि उक्त शोकिया मछली पकड़ने वाले व्यक्ति पकड़ी गई मछली को मारकर ले जाते हैं।

अतः इस परिपत्र के द्वारा मत्स्य विभाग को निर्देशित किया जाता है कि ऐंग्लिंग अनुज्ञापत्रधारी द्वारा ऐंग्लिंग में पकड़ी गई मछलियों को वापस जीवित अवस्था में उसी जलाशय में छोड़वाना सुनिश्चित करें।


(सुरेश दुर्गानी)
शासन उप सचिव

क्रमांक:एफ.3(13)मत्स्य/विकास/2017-18/18439-549 दिनांक: 10.11.18
प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. निजी सचिव, सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, राज0 जयपुर।
4. विशिष्ट उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज0 जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, राज0 जयपुर।
7. महानिदेशक पुलिस, राज0 जयपुर।
8. प्रमुख प्रधान वन संरक्षक, राज0 जयपुर।
9. आयुक्त, मत्स्य विभाग, राज0 जयपुर।
10. आयुक्त जन सम्पर्क विभाग, राज0 जयपुर।
11. समस्त जिला कलक्टर/पुलिस अधीक्षक राजस्थान।
12. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक मत्स्य., जयपुर/उदयपुर।
13. समस्त सहायक निदेशक मत्स्य/मत्स्य विकास/परियोजना अधिकारी राज0 को निर्देशित किया जाता है कि परिपत्र की पालना सुनिश्चित करें।
14. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव